

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 अगस्त 2016—भाद्रपद 2, शक 1938

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-17-106/2009/25-2. — अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 7 “राहत एवं सहायता” में उल्लिखित अपराध का नाम और राहत की न्यूनतम राशि संबंधी अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“अनुसूची

उपाबंध-1

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12 (4) देखिये]

राहत राशि के लिए मापदंड

क्रम सं. (1)	अपराध का नाम (2)	राहत की न्यूनतम राशि (3)
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना [अधिनियम की धारा 3(1)(क)]	पीडित व्यक्ति को एक लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया



<p>9.</p>	<p>मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(अ)]</p>	<p>पर 25 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (तीन) अगर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।</p>
<p>10.</p>	<p>अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ब)]</p>	
<p>11.</p>	<p>अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदारी के रूप में कार्य निष्पन्न करने या समर्पण का संवर्धन करने [(अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]</p>	
<p>12.</p>	<p>मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(घ)]</p>	<p>पीड़ित व्यक्ति को पच्चासी हजार रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 25 प्रतिशत;</p>
<p>13.</p>	<p>पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभिन्नस्त करना या उनमें व्यवधान डालना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ङ)]</p>	<p>(दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (तीन) अगर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।</p>
<p>14.</p>	<p>मतदान के पश्चात् हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिसोपण [(अधिनियम की धारा 3(1)(च)]</p>	
<p>15.</p>	<p>किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना</p>	



<p>20</p>	<p>धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उस अव्यभिचार करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(न)]</p>	<p>दाषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।</p>
<p>21</p>	<p>शत्रुता, घृणा से वेमनस्य की भावनाओं में अभिवृद्धि करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(प)]</p>	
<p>22</p>	<p>अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति के शब्दों द्वारा या किसी अन्य राशय से अनादर करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(क)]</p>	
<p>23</p>	<p>किसी अनुसूचित जाति या अनुरूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यो या अंगविशेषों का उपयोग करके जा लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(व)]</p>	<p>पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपये, संद्वय निम्नानुसार किया जाएगा: (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकरण पर 25 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (तीन) अगर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दाषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।</p>
<p>24</p>	<p>भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 326ख स्वेच्छया अन्त फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक)]</p>	<p>(क) ऐसा पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्ये हास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपये। (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रूपये। (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहर के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है,</p>

		<p>को पचासी हजार रुपये।</p> <p>इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या सचि राज्य प्रशासन अमल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा।</p> <p>मद (क) से (ग) के निबंधनानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <p>(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत,</p> <p>(दो) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्ति हो जाने पर 50 प्रतिशत।</p>
25.	<p>भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 354 रत्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस झमला या आपराधिक बल का प्रयोग</p> <p>[(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]</p>	<p>पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:</p> <p>(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत;</p> <p>(दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत,</p> <p>(तीन) अगर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।</p>
26.	<p>भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 354 (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड</p> <p>[(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]</p>	<p>पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:</p> <p>(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत;</p> <p>(दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत;</p> <p>(तीन) निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।</p>

27.	<p>भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 354ख निर्वरत्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]</p>	<p>पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:</p> <p>(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 50 प्रतिशत;</p> <p>(दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत;</p> <p>(तीन) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।</p>
28.	<p>भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 354ग दृश्यरतिकता [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]</p>	<p>पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:</p> <p>(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 10 प्रतिशत;</p> <p>(दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत;</p> <p>(तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।</p>
29.	<p>भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 354घ पीछा करना [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]</p>	<p>पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:</p> <p>(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 10 प्रतिशत;</p> <p>(दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत;</p> <p>(तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।</p>
30.	<p>भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 376ख पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]</p>	<p>पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:</p> <p>(एक) चिकित्सा परीक्षण और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत;</p> <p>(दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत;</p>

<p>31. भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 376ग प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन [[अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]</p>		<p>(तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। पीडित व्यक्ति को चार लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (एक) चिकित्सा परीक्षण और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति पर 25 प्रतिशत।</p>
<p>32. भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 509 शब्द अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है [[अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]</p>		<p>पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 25 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।</p>
<p>33. जल को दूषित या रुदा करना [[अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]</p>		<p>सामान्य सुविधा, जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लोटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सानुदायिक आस्तियों को सृजित करने के लिए जिला गजिरट्रेट के पास जमा की जाए।</p>
<p>34. लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रुद्धिजन्य अधिकार से इंकार या लोक समागम के ऐसे स्थान</p>		<p>संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीडित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का</p>

(क) प्रथम सर्वना सिपेट (एकअड्डेआर) पर 25

जापना :  
विनस्ट ही मयः है, सदाय निनागिआर किया  
रकराही खतू पर गूठ का पुनः सनिमंण, यहि  
आदि को एक लख रुपए की रहल लया  
या रहलने के अधिकार की बहली और धिहित  
होत गूठ, मम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल  
संबधित सज्य सरकार या सध सज्य शैव प्रमाण  
सिपेट किए जाने पर 25 प्रतिशत।  
(बी) अवर स्यालय द्वारा अभियुक्त आदि (क)  
पर 50 प्रतिशत।  
(डी) स्यालय की आरप पर भव सिपे जाने  
पर 25 प्रतिशत।  
(क) प्रथम सर्वना सिपेट (एकअड्डेआर) प्रकम

को सिपेट किए जाने पर 25 प्रतिशत।

(बी) अवर स्यालय द्वारा अभियुक्त आदि  
पर 50 प्रतिशत।

(डी) स्यालय की आरप पर भव सिपे जाने  
पर 25 प्रतिशत।

(क) प्रथम सर्वना सिपेट (एकअड्डेआर) प्रकम

जापना :  
विनस्ट ही मयः है, सदाय निनागिआर किया  
रकराही खतू पर गूठ का पुनः सनिमंण, यहि  
आदि को एक लख रुपए की रहल लया  
या रहलने के अधिकार की बहली और धिहित  
होत गूठ, मम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल  
संबधित सज्य सरकार या सध सज्य शैव प्रमाण  
सिपेट किए जाने पर 25 प्रतिशत।  
(बी) अवर स्यालय द्वारा अभियुक्त आदि (क)  
पर 50 प्रतिशत।  
(डी) स्यालय की आरप पर भव सिपे जाने  
पर 25 प्रतिशत।  
(क) प्रथम सर्वना सिपेट (एकअड्डेआर) प्रकम

को सिपेट किए जाने पर 25 प्रतिशत।

सकक या सरे का उपयोग

आत, किसी लोक परिवहन, किसी  
नले या अन्य नले स्थान या नले के  
नदी, धारा, कुआ, टूक, हील, सिपेट  
कठिान या सधान या सिपेट  
के सध सधान के आरप पर  
(अ) शैव की सामान्य समति या अन्य  
या सिपेट कर 25 -

जापना के सदस्य को बाधा डालना  
या अभियुक्त आदि या अभियुक्त  
सिपेट किए जाने पर 25 प्रतिशत।

36

[(अधिनियम की धारा 3(1)(घ))]

के लिए मजबूर करना

गूठ, मम या निवास का स्थान खोजने

35

[(अधिनियम की धारा 3(1)(न))]

स्थान में बाधा पहुँचाना

को उपयोग करने या उस पर पहुँच



[(अधिनियम की धारा 3(1)(थक)(अ)]

प्रतिशत;

(दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;

(तीन) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।

(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना।

(आ): सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष, सदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

[(अधिनियम की धारा 3(1)(थक)(आ)]

(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत;

(दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;

(तीन) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।

(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा हैं, निकालना या उनमें भाग लेना।

(इ): अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा हैं, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष, सदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

[(अधिनियम की धारा 3(1)(थक)(इ)]

(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत;

(द) 50 प्रतिशत जब आरंभ पर न्यायालय को

प्रतिशत

(क) प्रथम सर्वना रिपोर्ट (एकआइआर) पर 25

जाता है :

न्यायालय द्वारा दी गई रिपोर्ट को अग्रिम में

प्रमाणित करने और प्रमाणित करने के लिए

आवश्यक की जायेगी या आवश्यक की जायेगी

या उचित रूप से करने की जायेगी या उचित रूप से

विनिर्देशित करने के लिए या उचित रूप से

या आवश्यक करने या किसी कानून में निश्चित

(ब) कोई व्यवहार करने या कोई वैयक्तिक व्यवहार

न्यायालय द्वारा दी गई रिपोर्ट को अग्रिम में

(बी) 25 प्रतिशत जब आरंभ पर आरंभ को अग्रिम

जाता है :

(द) 50 प्रतिशत जब आरंभ पर न्यायालय को

प्रतिशत

(क) प्रथम सर्वना रिपोर्ट (एकआइआर) पर 25

विनिर्देशित किया जाएगा :

रिपोर्ट को एक न्यायालय को अग्रिम में

प्रमाणित करने और प्रमाणित करने के लिए

आवश्यक की जायेगी या आवश्यक की जायेगी

या उचित रूप से करने की जायेगी या उचित रूप से

विनिर्देशित करने के लिए या उचित रूप से

या आवश्यक करने या किसी कानून में निश्चित

या आवश्यक करने या किसी कानून में निश्चित

(ई) किसी वैयक्तिक व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार

न्यायालय द्वारा दी गई रिपोर्ट को अग्रिम में

(बी) 25 प्रतिशत जब आरंभ पर आरंभ को अग्रिम

जाता है :

(द) 50 प्रतिशत जब आरंभ पर न्यायालय को

[(अ) विनिर्देशित करने की जायेगी (1)(क)(3)]

उपरोक्त पक्षों का अधिकार है।

किसी भाग को उपयोग करने का या

के अन्य व्यक्तियों या उचित रूप से

किसी कानून में निश्चित, विनिर्देशित, विनिर्देशित

व्यक्ति, व्यवहार या व्यवहार करने या

(ब) कोई व्यवहार करने या कोई वैयक्तिक व्यवहार

[(अ) विनिर्देशित करने की जायेगी (1)(क)(ई)]

उपयोग

के लिए आवश्यक करने या परेशानी को

किसी कानून में वैयक्तिक द्वारा उपयोग

प्रदान करने या वैयक्तिक के लिए खर्च

रखना या किसी वैयक्तिक व्यवहार में

व्यक्ति या वैयक्तिक मनोरंजन के

व्यक्तिगत, वैयक्तिक व्यवहार के

(ई) किसी वैयक्तिक व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार



<p>स्वायत्तय द्वारा दीर्घादि किसे जानें पर।</p> <p>(बी) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर भोजन जाता है।</p> <p>(डी) 50 प्रतिशत जब आयुष पर स्वायत्तय को प्रतिशत।</p> <p>(क) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एकआइआर) पर 25 दिनानुसार किया जाएगा।</p>	<p>भावीय दंड सहित 1860 (1860 की 45) के अधिन अधिन करना, जो दंड रूप। इस समय में केकार ही सकता है यदि अर्थात् में विनिर्दिष्ट अनुसार उपबंध किया गया।</p>	<p>40.</p>
<p>स्वायत्तय द्वारा दीर्घादि किसे जानें पर।</p> <p>(बी) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर भोजन जाता है।</p> <p>(डी) 50 प्रतिशत जब आयुष पर स्वायत्तय को प्रतिशत।</p> <p>(क) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एकआइआर) पर 25 दिनानुसार किया जाएगा।</p>	<p>भावीय दंड सहित 1860 (1860 की 45) के अधिन अधिन करना, जो दंड रूप। इस समय में केकार ही सकता है यदि अर्थात् में विनिर्दिष्ट अनुसार उपबंध किया गया।</p>	<p>39.</p>
<p>स्वायत्तय द्वारा दीर्घादि किसे जानें पर।</p> <p>(बी) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर भोजन जाता है।</p> <p>(डी) 50 प्रतिशत जब आयुष पर स्वायत्तय को प्रतिशत।</p> <p>(क) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एकआइआर) पर 25 दिनानुसार किया जाएगा।</p>	<p>भावीय दंड सहित 1860 (1860 की 45) के अधिन अधिन करना, जो दंड रूप। इस समय में केकार ही सकता है यदि अर्थात् में विनिर्दिष्ट अनुसार उपबंध किया गया।</p>	<p>38.</p>
<p>स्वायत्तय द्वारा दीर्घादि किसे जानें पर।</p> <p>(बी) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर भोजन जाता है।</p> <p>(डी) 50 प्रतिशत जब आयुष पर स्वायत्तय को प्रतिशत।</p> <p>(क) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एकआइआर) पर 25 दिनानुसार किया जाएगा।</p>	<p>भावीय दंड सहित 1860 (1860 की 45) के अधिन अधिन करना, जो दंड रूप। इस समय में केकार ही सकता है यदि अर्थात् में विनिर्दिष्ट अनुसार उपबंध किया गया।</p>	<p>37.</p>



	मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिशूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।	
	(क) शत-प्रतिशत अक्षमता।	पीडित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत; (दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ख) जहाँ अक्षमता शत-प्रतिशत से कम है किंतु पचास प्रतिशत से अधिक है।	पीडित को बार लाख पचास हजार रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत; (दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ग) जहाँ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीडित को दो लाख पचास हजार रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत; (दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44.	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (1) बलात्संग भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 375	पीडित को पांच लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत; (दो) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।

	<p>(2) सामूहिक बलात्संग, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 376घ</p>	<p>पीडित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपये, सदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <p>(एक) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत;</p> <p>(दो) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;</p> <p>(तीन) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।</p>
<p>45.</p>	<p>हत्या या मृत्यु</p>	<p>पीडित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपये, सदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <p>(एक) शव परीक्षण के पश्चात् 50 प्रतिशत;</p> <p>(दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर।</p>
<p>46.</p>	<p>हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, रथार्थी अश्रमता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष।</p>	<p>पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :-</p> <p>(एक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रुपए की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुंब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत कथ द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध;</p> <p>(एक) पीडित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण। बालकों को सरकार द्वारा</p>

		<p>पूर्णतया विस्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा;</p> <p>(घ) बतनों, चावल, गेहू, दालों, दलहन, आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबन्ध।</p>
47.	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना।	<p>ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहाँ उपलब्ध कराना जहाँ उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।"</p>

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डॉ. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव